

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रावतभाटा

केस मुकदमा शिवलाल बनाम रामस्वरूप
 प्राचीन पत्र नं. 12 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
11/6/19	<p>प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल भा. स. स. व. द. ज. अंतर्गत प्रस्तुत हुआ। दर्ज रजिस्ट्रर किया जावे।</p> <p>प्राची शिवलाल पित गोवर्धन महजन निवासी सरझनी हाल निवासी रामजंजमण्डी जिला पौरा ने ग्राम सरझनी स्थित शेखेदारी की आरजी नम्बर 438, 439, 441, 445, 448, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184 कीता 10 रकबा 2.58 हे की पत्थरगद्दी कराये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त आरजी प्राची के शेखेदारी हक से दर्ज शेकाई है।</p> <p>अतः प्राची की ग्राम सरझनी स्थित आरजी नम्बर 438, 439, 441, 445, 448, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184 कीता 10 रकबा 2.58 हे की बिना किसी के कलजे से दरवानगी विलो सेटलमेंट नबसे हानुनार पत्थरगद्दी करके के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगद्दी सच्ची प्राची पहन करेगे। कमिशनर शुल्क 1000/- रुपए आदेश एक हजार रुपए प्राची से वसूल हो। पालनाब तहसीलदार रावतभाटा को लिखा जावे कि पत्थरगद्दी को सूचित किया जाकर नियमानुसार उक्त आरजी की पत्थरगद्दी की जावे एवं कोई विचार हो तो पुनः वेशा करे। पालना प्राप्त हो। पत्थरगद्दी के सल शुमार हेकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा